

संक्षिप्त खबरें

**क्राइम ब्रांच अमेठी व थाना बाजार
थुक्ल पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के
अभियोग में वांछित व 03 वर्ष से
फरार अभियुक्त गिरफ्तार**



शुक्ल बाजार अमेठी। पुलिस अधीक्षक अमेठी अर्पणा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अवर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीरंजित कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों को धरम-धकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीजाधिकारी मुसाफिरखाना अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में को फ़ाइम ब्रांच अमेठी व थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर विभिन्न धाराओं में थाना बाजार शुक्ल में वांछित अभियुक्त भोला पुत्र ओमवर्मा उर्फ जम्पू निवासी ग्राम ओढमपुर थाना जसरना पन्ना पद फिरोजबाद अर्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने किसी जानने वाले व्यक्ति से मिलने आया था। थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

वकील से मारपीट व लूट-पाट करने वाले तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पिलखा गांव के निकट 19 में कोतवाली के दवा लेकर घर जा रहे अधिवक्ता से मारपीट कर उनका मोबाइल व उनकी जेब में रखे 2500 रुपये छीनने वाली तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास लूट लूट्टा मोबाइल व एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। सुभाषचंद्र गांव निवासी हरिकिशन वमा शर्मा से अधिवक्ता हैं। 19 में कोतवाली करीब 8-30 बजे वह बाल्हेमऊ से दवा लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी पिलखा गांव के निकट तीनों बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। उनसे मारपीट कर उनका मोबाइल छीन लिया। जेब में रखे 2500 रुपये भी निकाल लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों को विरुद्ध केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। शनिवार को रामनगर भट्टे के पास पुलिस ने दो टिकरान गांव निवासी सत्येंद्र व शशी और सरेनी क्षेत्र को निवासी मंजरे बिट्टूली निवासी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास मोबाइल व बाइक बरामद की है। इस्पेक्ट्र प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों को कोतवाली भेज दिया गया है।

बेदखली सूचना

मैंने अपनी पुत्रवधु गौरी पत्नी स्व. सुरेंद्र एवं दोनों पौत्र हर्ष व हर्षित पुत्रगण स्व. सुरेंद्र को उनके गलत आचरणों एवं चाल-चालन के चलते अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेबेदखल कर दिया है। आज से इनके द्वारा किये गए किसी भी कृत्य एवं लेनदेन से मेरा कोई सरोकार नहीं रहेगा।

मुरारी देवी पत्नी स्व. रामवृक्ष
मोहल्ला टेहरा शहरी
पलिया कलां
जिला लखीमपूर-खीरी

बेदखली सूचना

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि मेरा नाम उसमान अली पुत्र मुनक्वर अली-निवासी मिश्रीपुर, पोस्ट पहाड़पुर थाना महिगवा, तहसील बी०के०टी, जिला-लखनऊ का हूँ। मेरे दो पुत्र पुत्र एक पुत्री हैं- मेरा दूसरा (महिला) पुत्र जिसका नाम मे० शहिल है, जिसकी हरकतों, गाली-गलौज, लडाईं झगडा, गलत संभति व गलत चाल-चलन से प्राथी काफी परेशान रहता है, मे० शहिल के गलत चाल-चलन के कारण प्राथी अपने पुत्र से कोई वास्ता व सम्बंध, सरोकार नहीं रखना चाहता है. न ही उसके द्वारा किये गये किसी कृत्य की जिम्मेदारी मेरी व मेरे परिवार के किसी सदस्य से नहीं होगी, मैं अपने पुत्र मे० शहिल के कृत्यों व गलत चाल-चलन के कारण अपनी मर्जी से सम्पूर्ण भारत में स्थित चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ। मे० शहिल द्वारा किये गये कृत्यों की जिम्मेदारी अब स्वयं उसकी होगी। मेरी व मेरे परिवार की कृत्यों जिम्मेदारी व जवाबदेही व देनदारी नहीं होगी।

उस्मान अली
पुत्र मुनव्वरं अली.
पोपुर, पोस्ट पहाड़पुर
तहसील बी०के०टी
जिला-लखनऊ

बलरामपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी

कप्तानगंज थाना अध्यक्ष द्वारा गरीब के पुराने मकान पर दबंगों का कब्जा करवा दिया



बाद कोई जांच अधिकारी पीड़ित के दरवाजे तक नहीं गया इससे आप प्रतीत होता है की थाना अध्यक्ष की तरह यह लोग भी मोटी रकम लेकर बिके हुए हैं वीरता का आरोप है कि विपश्ची का यहां कोई कांजागत न कोई जमीन कोई भी नहीं होने के कारण गांव के कुछ हमारे दुश्मनों द्वारा उन्हें लाकर यहां पैसे के बल पर पुलिस कब्जा करवा दिया उसके बाद पुलिस के तानाशाही पंकज द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई जो कि झुठ पर पर्दा खलने पर भी नहीं पर्दा पड़ेगा क्योंकि सुनील गौड़ इस समय मुंबई में प्रॉवेट फॉर्म में काम कर रहे हैं उनका खाला देकर उनके नाम शांति भंगन जैसी कार्रवाई करके वह वाही लूटने का काम किया है लेकिन सच्चाई सुनील द्वारा पेश किया गया जो इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी ऐसी थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के ऊपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।

भी नहीं पढ़ा पड़ेगा क्योंकि सुनील गौड़ इस समय मुंबई में प्राइवेट फॉर्म में काम कर रहे हैं। उनका बखाला देकर उनके नाम शांति भंगन जैसी कार्रवाई करके वह वाही लुटने का काम करेगा। लेकिन सचचाई सुनील द्वारा पेश किया गया जो इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी ऐसी थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के ऊपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।



स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिले में नव नियुक्त जिला कार्यकारी समिति का बैठक सेशनवार को राजकीय इंटर कालेज पचमोहीन में सम्पन्न हुआ। इस दौरान समर बहादुर सिंह ने कहा कि प्रादेशिक मुख्यालय के आदेश के तहत जिले में स्काउटिंग गाइडिंग के समस्त गतिविधियों का स्काउटिंग गाइडिंग के प्रतिज्ञा और नियम के उद्देश्यों पर कार्य किया जाएगा। जिला स्काउट कमिश्नर करुणा कांत ने कहा कि जन्मद में स्काउटिंग के लिए हम सब पुरा शिखर तक पहुंचाने के लिए हम सब पुरा प्रयास करेंगे। जिला गाइड कमिश्नर अर्चना

सिंह ने कहा कि हम सभी स्काउटिंग गाइडिंग के लिए समर्पित रहेंगे।

प्रोदेशिक मुख्यालयय से आए प्रतिनिधि सहायक प्रोदेशिक संगठन आयुक्त स्काउट नरमै मंडल बस्ती संदीप कुमार ने सिद्धाथतः नररी के कस्तुरी गाईडि के कार्यक्रमे से संबंधित जानकारी दी। बैठक का संचालन जिला संगठन आयुक्त स्काउट अमित कुमार शुक्ल ने किया। बैठक में मन नियुक्त कोषाध्यक्ष अपिषेक कुमार, जिला सचिव अजय शंकर उपाध्याय, कम कमिश्नर राजिज कुमार, बुलबुल कमिश्नर अर्चना वर्मा, डी टी सी जी डी इफ्तखारुन्नीसा, सहायक आयुक्ति डाॅ हरेमंत कुमार गुप्त, आदि लोग मौजूद रहे।

शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाया दो बार जबरन गर्भपात कराया

स्वतंत्र प्रभात

बस्ती। बस्ती जिले में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया एक युवती को चंडीढ़ के से चलकर बस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची कहां साहब बस्ती पुलिस जिले के संचयन शर्मा ज्ञान बेलवर्तिया जंगल थाजा गौर का रहने वाला है जिसने मेरे साथ पहले दोस्ती की फिर जबन शारीरिक संबंध बनाया जहां हमने इसका विरोध किया तो दिलासा देते हुए संचयन ने कहा क्या ओम मत रेंगेम मत हम शायी कर लेंगे तब से लेकर आज तक कई बार संचयन ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और दो बार प्रेमेट हो जाने पर गर्भपात भी कराया जहां हमने शायी के लिए दबाव बनाया तो संचयन ज्ञान से मारने की धमकी एवं मारपीट करते हुए मोबाइल छीन लिया और सारे स्वतुम मिटा दिया 10,000 -



रुपये छीन लिया। पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता ने कहा धनास 14 सेक्टर चंडीगढ़ की निवासिनी हैं। संजय शर्मा पुत्र दान बहादुर निवासी होला-लौनिया प्रभा बेलवर्गिया जहाल तहसील हरैया बस्ती उत्तर प्रदेश करीब 4 वर्ष पूर्व काम के सिलसिले में जान पहचान हुई फिर दोस्ती हो गयी। हमारी दोस्ती का नजानाज फायदा उठते हुए हमे अपने घीसे भाई दीप्स के घर बुलाया, जो भी संजय के घर के पास ही है। वही पर संजय शर्मा ने जब्बन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और मेरे रोने पर मुझसे बोला पेशेनान न हो हम शादी कर लेंगे। उसके बाद आये दिन वह मेरे साथ शारीरिक

संभंघ बनाता रहा। इस दौरान मैं दो बार गर्भवती भी हो गयी। संयंत्र शर्मा लोक-लाज का धर्म दिखाने डरा धमका कर जबनन मेरा गर्भपात करवा दिया। शादी की बात करने पर टाल मटोल करने लगा और छह महीने धमकाने लगा। मेरे काफी मिन्नते करने पर दिनांक 18 मई 2025 को अयोध्या में शादी की बात करने के लिये बुलाया मैं। मैं अयोध्या पहुँच पहुँची तो वह अपने भाई गोल्डू गोपाल एवं दोस्त सुरजीत वर्मा के साथ मिलकर होटल में बनाया पाँच मीटर मोबाइल एवं 10,000 रुपये छीन लिए व जान से माराइल एवं धमकी देता हुआ चला गया। जिसकी शिकायत मैंने 1090 पर की थी। उसने मेरे मोबाइल के सारे सबूत भी नष्ट कर दिए। पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचकर मीडिया के सामने अपने दर्द को ब्याँ करने हुए कहा की साहब पुलिस आप हमारे साथ ईसाफ करों।

करंट की चपेट में आकर घायल हुआ बंदर

लालगंज (रायबरेली)। तहसील परिसर में शुक्रवार को एक बंदर चेजओवर के पास उतरते समय करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगते ही वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल सूचना प्रभायी तहसीलदार शंभूशरण पांडेय को दी। प्रभायी तहसीलदार ने तत्काल चिकित्सकों को बुलाकर बंदर को प्राथमिक उपचार कराया। लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उसकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका। बाद में वन विभाग की टीमा को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी घायल बंदर का रेस्क्यू कर उसे इलाज के लिए ले गए। तहसील के कर्मचारियों ने बताया कि यह बंदर तहसील परिसर में लंबे समय से रह रहा था और अक्सर शरारतें करता रहता था। उसकी कभी कभरे में घुसकर कागजात फाड़ देता तो कभी टेबल-कुर्सी उलट देता। वह कर्मचारियों से बिस्कुल नहीं खाता था। कभी कभी हॉलत विगाड़ देता है।

कार्यालय ग्राम पंचायत मंडोला, विकास खण्ड-दरियाबाद, बाराबंकी

पत्रांक मेमो मनरेगा/गा०पं०-मंडेला/सामग्री आपूर्ति/निविदा-प्रकाश/दरि०/२०२५-२६

02.07.2025

अल्पकालीन निविदा सचना

विकास खण्ड दरियाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मंझेला बाराबंकी में मनरेगा योजनान्तर्गत जनहित मे निम्नलिखित कार्य कराया जाना है जिसके लिए संलग्न बिल आफ क्रान्टिडी के अनुसार सामग्री आपूर्ति हेतु जीएसटी पंजीकृत फर्म मालिक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से स्वीकृत दरो के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सामान आपूर्ति की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय से दिनांक 03.07.2025 से 17.07.2025 तक किसी भी कार्यदिवस मे निर्धारित धनराशि जमा करके प्राप्त किये जा सकते है। मोहरबन्द निविदायें दिनांक 18.07.2025 को प्रातः 10 से 02 बजे अपराह्न तक निविदा वाक्स मे डाली जायेगी तथा दिनांक 18.07.2025 को ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय / पंचायत भवन में उपस्थित निविदाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत की निविदा समिति के द्वारा समय 3.00 बजे खोली जायेगी।

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	सामग्री की जीएसटी सहित लागत (रू० लाख में)	आपूर्ति ली जाने सामग्री का विवरण	धरोहर राशि (रू० में)	निविदा मूल्य	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मंझेला	मंझेला में अन्नपूर्णा स्टर का निर्माण कार्य 3148012035/ AV/958486255824 171984	1	9,46,550	बालू, सोमेन्ट, मोरंग, गिटटी, सरिया, ईंट इत्यादि	2 प्रतिशत	500	3 माह
2	मंझेला	गौ आश्रय स्थल मंझेला में नर व मादा के अलग-अलग रखने हेतु टीन की दीवाल का निर्माण कार्य 3148012035/AV/9 58486255824 169469	1	3,98,240	बालू, सोमेन्ट, मोरंग, गिटटी, सरिया, ईंट, टीन इत्यादि	2 प्रतिशत	500	3 माह

1. धरोहर राशि का राष्ट्रीकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा निग्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण जो पंचायत मंजोला विकास खण्ड दरियाबाद के नाम बन्धक करते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को संलग्न बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार उपरोक्त वर्णित सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धित सचिव / प्रधान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता के द्वारा बताये गये निर्दिष्ट समय स्थान पर सामग्री आपूर्ति करना होगा।
3. आपूर्ति की गयी सामग्री का मनरेगा योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, विलम्ब आदि के लिए कार्ययादायी संस्था उत्तरदायी नहीं होगी।
4. जी0एस0टी00 पंजीकृत बिल ही मान्य होगा।
5. विभिन्न प्रकार के शासकीय करों के भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
6. आपूर्ति की गयी सामग्री के भाडा/किराये का अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
7. आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप करने के उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित फर्म मालिक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर पंचायत मंजोला में उपरोक्तानुसार/प्राक्कलित/स्वीकृत सामग्री सम्बन्धित सचिव/प्रधान/तकनीकी सहायक / अभियन्ता के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्दिष्ट समय/स्थान पर सामग्री आपूर्ति करने पर धरोहर जब्त करनी का ग्राम पंचायत का होगा।
9. सामग्री आपूर्ति का बिना कारण बताये अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार सचिव/प्रधान/निविदा समिति मंजोला में निहित होगा।

तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत मंडोला, दरियाबाद, बाराबंकी।	सचिव ग्राम पंचायत मंडोला, दरियाबाद, बाराबंकी।	प्रधान ग्राम पंचायत मंडोला, दरियाबाद, बाराबंकी।
---	---	---

